तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
24/10/17	वकील पक्षकारान उप. / पाण्पड़ के मूल वाद में पक्षकारों के राजीनामा पेश हुआ है जो मूल वाद में वादी राजिनामा किया गया / पत्रावली वास्ते आज्ञा आ। राजीनामा 31/10/17 पेश हो उपखण्ड अधिकारी टोंक (राज.)	Jd. by Rajneya नि० कांती नि० गोपी रामलाल पासन दि. 24/12
31/10/17	वकील पक्षकारान उप. मूल वाद की पत्रावली में पक्षकारों के मध्य राजीनामा हो गया है जो वादी राजिनामा पत्रावली किया गया / राजीनामे के आधार पर मूल वाद को प्रारम्भिक डिक्री किया जा चुका है जब मूल वाद में राजीनामा हो गया है तब पाण्पड़ अस्थाई निषेधाज्ञा का कोई औचित्य नहीं है अतः पाण्पड़ अस्थाई निषेधाज्ञा पक्षकारों के मध्य राजीनामा हो जाने के कारण खारिज किया जाती है। पत्रावली के फैसल शुमार होकर नस्ती की जावे मूल में शामिल किया जावे अखिल इजलास है उपखण्ड अधिकारी टोंक (राज.)	Jd. by

Scanned by CamScanner